भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3976

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 दिसंबर, 2016/18 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि</u>

3976 श्रीमती कविता कलवकुंतला:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निवेशकों में जागरूकता फैलाने तथा निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए कोई कोई निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि स्थापित की है तथा यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त निधि से इस पहल हेतु कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अगले वित्त वर्ष के लिए इस निधि हेतु आवंटन बढ़ाने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग जो अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 द्वारा प्रतिस्थापित की गई है, के अनुसरण में अदावाकृत लाभांसों सहित अदावाकृत और असंदत्त राशियों की निर्दिष्ट श्रेणियाँ निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में जमा करानी अपेक्षित हैं। आईईपीएफ में जमा की गई धनराशि उपयोग के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं होती है क्योंकि यह भारतीय समेकित निधि (सीएफआई) का भाग होती है। मंत्रालय को उन पात्र निवेशकों को पुन: भुगतान करने के लिए एक पृथक बजट आवंटन किया जाता है, जिनकी राशियां कंपनी अधिनियम के अधिदेश के अनुसरण में निवेशकों में जागरूकता लाने के लिए आईईपीएफ में जमा करवाई गई हैं।

(ख): चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निवेशकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से तीन व्यावसायिक संस्थानों, अर्थात् भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सहयोग से निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों (आईएपी) के आयोजन के लिए 105 लाख रुपए की राशि मंजूरी दी गई है।

(ग): आईईपीएफ के व्यय की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट आबंटन किया गया है।

*****